



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1060 / छ.-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लिपिन माझा
पुत्र- श्री विरह माझा
मोहल्ला- नरपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9580886181

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 25/07/2026

पत्रांक- 1059 / छ-स्वा0 / 2026-27

नाम- श्री पद्म मादव
पुत्र- श्री राज मादव
मोहल्ला- तपपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9305994895

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 25/07/2026

पत्रांक-1058 /छ:-स्वा0/2026-27

नाम- श्री शही गायन
 पुत्र- श्री रामराज गायन
 मोहल्ला- नरपूर, जौनपुर
 मोबाईल नम्बर- 8866986363

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1057/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री श्री मदन
पुत्र- श्री श्री मदन
मोहल्ला- नारायण, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 912534516

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1056 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- अमर मर्मा
पुत्र- लक्ष्म
मोहल्ला- तारपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8354920016

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1031 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री मजदूर राम बचन पात्रा
पुत्र- श्री रामप्रसन्न पात्रा
मोहल्ला- लालीचापाड़ा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9506492292

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व बैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1009 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री विनोद भादव
पुत्र- श्री भारत भादव
मोहल्ला- गोकुलपुरा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9007887070

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1010 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लालबहादुर शास्त्री

पुत्र- श्री देवानाथ शास्त्री

मोहल्ला- खारनपुर, जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1011 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री अन्तिम मायव
पुत्र- श्री अश्वप्र कुमार मायव
मोहल्ला- १ बासनपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-10/2 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री श्रीमा गाय
पुत्र- श्री वैष्णव गाय
मोहल्ला- खामनपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1013 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्रीमती प्रेम भावरा
पुत्र- पत्नी श्री रामनेत्र भावरा
मोहल्ला- खामनपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-..... के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1014 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री अंकित यादव

पुत्र- श्री रविन्द्र यादव

मोहल्ला- खानपुर यादव

मोबाईल नम्बर- 9007054733

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1015 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लखम पादव

पुत्र- श्री सुलभ पादव

मोहल्ला- ई. लागा. मधुप्री मणी जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1016 / छ:-स्वा10/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री धिक्कामाद पाण्डे
पुत्र- श्री जयराम पाण्डे
मोहल्ला- श्री जयराम सक्ती मण्डा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1017 / छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री प्रो. प्रसाद

पुत्र- श्री सुखन पायल

मोहल्ला- फुडू बाजार, जौनपुर।

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुरा

नोटिस

पत्रांक- 1018 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लक्ष्मण दास
पुत्र- श्री विष्णुदास दास
मोहल्ला- ऊई बाजार भागी मणी, जौनपुरा
मोबाईल नम्बर- 9838886043

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनितेसन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुरा।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुरा को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुरा।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1053 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री गुरुदत्त पात्र
पुत्र- श्री अरुण पात्र
मोहल्ला- अरुण पात्र की मस्ती, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9140734301

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1054 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री शीफू दास
 पुत्र- श्री कृष्ण दास
 मोहल्ला- कटहल सड़की मण्ड, जौनपुर
 मोबाईल नम्बर- _____

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1019 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री गौतम पायल

पुत्र- श्री राखारुद्र पायल

मोहल्ला- ऊईलापा सखी, श्री, जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.04.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1020 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री सांठू
पुत्र- श्री नन्दू
मोहल्ला- कोहिलगंज, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9839653008

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 18 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुरा

नोटिस

पत्रांक-1022/छ-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री अश्वि
पुत्र- हनीप
मोहल्ला- कृष्णगौर, जौनपुरा
मोबाईल नम्बर- 9235161202

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व बैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1023 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- यन्तू
पुत्र- हनीफ
मोहल्ला- कोहियारा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9564840905

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1024/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- राहुल हारामी
पुत्र- शांति हारामी
मोहल्ला- मुफ्ती रोस्ला, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9054904244

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उओप्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1025/उ-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लालाद
पुत्र- श्री गौरी
मोहल्ला- गौरीपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9264906819

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1026/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री मंगर
पुत्र- श्री गोबरराज
मोहल्ला- मिर्झपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9335634840

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 14-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/बाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1027/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री सन्तोष
पुत्र- श्री लमरस
मोहल्ला- मिखिरपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8601722828

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-14-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1028 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री रामचन्द्र पादव
पुत्र- श्री रामप्रकाश पादव
मोहल्ला- चँदपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-7-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1029 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री राजपति घटव

पुत्र- —

मोहल्ला- जौनपुर, जौनपुर

मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1030 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री बिंदू पाण्डे
पुत्र- श्री लखराज पाण्डे
मोहल्ला- चौदपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1031 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री सुशील पाण्डे

पुत्र- —

मोहल्ला- चौदपुर, जौनपुर

मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1039/उ-स्वा0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री ईश्वर प्रताप यादव
पुत्र- श्री रामेश्वर यादव
मोहल्ला- चौखुर्द, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1033 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री चन्द दास
पुत्र- श्री किशोर दास
मोहल्ला- चौखुर्, लौखुर्
मोबाईल नम्बर- _____

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुरा

नोटिस

पत्रांक-1040/छ-स्या0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री रामा मादब
 पुत्र- श्री रामबेप्रवान मादब
 मोहल्ला- चौदपुर, जौनपुरा
 मोबाईल नम्बर- 9935475189

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुरा।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुरा को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

(धर्मराज राम)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, जौनपुरा।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1041 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री रामचन्द्र राय
पुत्र- श्री रामरत्नप्रसाद राय
मोहल्ला- चौदपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1042 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री लक्ष्मण मादा
पुत्र- श्री बिन्दू मादा
मोहल्ला- चौधपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1043 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- स्त्री शुभम माधव
पुत्र- स्त्री भाव बहादुर माधव
मोहल्ला- जौनपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/287 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1044/छ-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री योगेन्द्र यादव
पुत्र- श्री प्रताप यादव
मोहल्ला- नईगांव नईगांव, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- _____

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1045/छ-स्वा10/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री रामचन्द्र मायब
पुत्र- श्री हरिदास मायब
मोहल्ला- नईगंज नईबाजार, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1046 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री नरेन्द्र प्रसाद
पुत्र- श्री श्री प्रसाद
मोहल्ला- महाराज, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1047 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2024

नाम- श्री कमल बाबू यादव
पुत्र- श्री श्री यादव
मोहल्ला- हिंगा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1048 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री अशोक पादव

पुत्र- श्री सवित्रा पादव

मोहल्ला- नईगंज, जौनपुर

मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 6.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1
(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1049/छ:-स्या0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री कल्पनाश गाय
पुत्र- श्री राई गाय
मोहल्ला- नईगाँव, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1050 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री डॉ. सी. सी.

पुत्र- —

मोहल्ला- नईगंज, जौनपुर

मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1051 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री प्रेमचन्द पादर
पुत्र- श्री पद्मराज पादर
मोहल्ला- नईगाँव मुरायाँज, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.04.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1052/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री राव
पुत्र- श्री के. राव
मोहल्ला- नन्दागढ़, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9933582956

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 20.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1055/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री दुर्गेष्वा
पुत्र- श्री राम मुन्ना
मोहल्ला- नन्दगौव, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8418094086

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-20.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1035/छ-स्वा0/2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री सुनील
पुत्र- श्री राजशिव मादव
मोहल्ला- महोदय, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 17.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उओप्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1036 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री मन्सिराम
पुत्र- श्री राजेश्वर
मोहल्ला- लक्ष्मीनगर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1037 / छ-स्वा0/2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री सोनू
पुत्र- श्री रविप्राम
मोहल्ला- लहौरीबाग, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9696046239

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व बैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व बैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 1038 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री गोपाला पावत
पुत्र- श्री भवानी प्रसाद पावत
मोहल्ला- तालिकापुर झररी जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9984493590

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिरासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1039 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-25/07/2026

नाम- श्री जैराम शर्मा
पुत्र- श्री विष्णु शर्मा
मोहल्ला- काचिया, उत्तरा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8948271355

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-16-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-1034 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 25/07/2026

नाम- श्री नन्दूखर गायन
पुत्र- श्री प्रभू प्रसन्न
मोहल्ला- वालिकपुर उत्तरी, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8726268152

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 16.04.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।